न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

सत्र परीक्षण सं0. 47/2017

सरकार बनाम राकेश उर्फ गुड्डू

मु.अ.सं.– 434/2016,
अं.धारा– 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना– गोसाईगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ एतद् द्वारा आप – राकेश उर्फ गुड्डू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ –

यह कि दिनांक 30.08.2016 को समय 09.45 बजे नई जेल रोड कस्बा गोसाईंगंज, थाना गोसाईंगंज, लखनऊ में आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और आपके कब्जे से 01 अदद तमन्चा, चैम्बर में फंसा एक कारतूस मिस व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुये, जिन्हें रखने का लाइसेंस आपके पास नहीं था। इसप्रकार आपने धारा– 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एवं एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए ।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
दि0. 09.08.2017 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
दि0. 09.08.2017 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

सत्र परीक्षण सं0. 47/2017

सरकार बनाम राकेश उर्फ गुड्डू

मु.अ.सं.– 434/2016,
अं.धारा– 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना– गोसाईगंज, लखनऊ।

<u>दिनॉकः 09.08.2017</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त राकेश उर्फ गुड्डू मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया।

मैने अभियुक्त के अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के विन्दु पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उभयपक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– 3/25 आयुध अधिनियम भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 3/25 आयुध अधिनियम भा.दं.सं. के अन्तर्गत अलग प्रपत्र पर आरोप विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉकः 01.09.2017 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।